

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@gov.in website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक | 83 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ

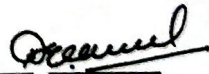
मर्यादित, सेक्टर 21, नवा रायपुर,

अटल नगर, छ.ग.

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 951 तारांकित द्वारा श्री दलेश्वर साहू सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 951 तारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में दिनांक 03.07.2025 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक-पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से परिशिष्टों की जानकारी 'यूनिकोट फॉन्ट' में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
संलग्न-उपरोक्तानुसार


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

विषय : प्रदेश में स्थापित फोर्टीफाईड राइस कर्नल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल
(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 951) श्रीदलेश्वर साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

1 मई, 2025 के पूर्व राज्य में कितने फोर्टीफाईड राइस कर्नल (एफ.आर.के.) मैन्यूफैक्चरिंग मिल स्थापित थे ? क्या जून, 2025 तक उक्त मैन्यूफैक्चरर से एफ.आर.के. की खरीदी की जा रही है? पूर्व में पंजीकृत या स्थापित मिलों से एफ.आर.के. क्रय नहीं किये जाने का क्या प्रमुख कारण है? सरकार के पास उन मिलों के लिए क्या योजना है? 1 मई, 2025 के पूर्व में एफ.आर.के. खरीदने की क्या व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में बदलाव कर टेंडर करने के क्या कारण हैं ? जानकारी दें?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

मार्किंग